

# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rpsc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rpsc.health.rajasthan.gov.in


क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 976 दिनांक : 17/6/2022

## कार्यालय आदेश

M/s Scott Edil Advance Research Laboratories & Education Ltd, 28/6, Industrial Area-II, Chandigarh- 160002 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(278)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2020/112 दिनांक 17.01.2020 के तहत औषधि Amoxycillin Cap IP 250mg [71] के क्रयादेश क्रमांक 4549 दिनांक 12.03.2022 के द्वारा 3730600 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 3660 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा 4863600 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 2472 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा 3600000 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 462 दिनांक 16.05.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 (प्राप्ति पत्र दिनांक 10.06.2022) की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Scott Edil Advance Research Laboratories & Education Ltd, 28/6, Industrial Area-II, Chandigarh- 160002 को औषधि Amoxycillin Cap IP 250mg [71] के लिए पूर्व में जारी विवर्जित (Debar) आदेश क्रमांक 813 दिनांक 08.06.2022 की अवधि को सम्मिलित करते हुए एवं आदेश की निरन्तरता में दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) (दिनांक 07.06.2024 तक) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

  
 (अनुपमा जौरवाल)  
 आई.ए.एस.  
 प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 976

दिनांक : 17/6/2022

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/पंजाब।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Scott Edil Advance Research Laboratories & Education Ltd, 28/6, Industrial Area-II, Chandigarh- 160002
13. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.

(विशेषाधिकारी)  
आर.एम.एस.सी.  
कार्यालय